महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0,
अनुभाग–12 लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

2–समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्याः– 9165 / 12–एल (1) / 2016, दिनांकः 14–12–2017

विषयः प्रदेश के राजस्व न्यायालयों में लम्बित पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों (Restoration applications) को दैनिक वाद तालिका (Daily Cause List) में प्रदर्शित किये जाने व उन पर त्वरित निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजस्व परिषद स्तर पर वादों की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया है कि प्रदेश मे कतिपय पीठासीन अधिकारियों द्वारा राजस्व न्यायालयों में प्राप्त पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों (Restoration applications) को अनावश्यक रूप से लम्बित रखा जा रहा। इस प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कतिपय राजस्व न्यायालयों में पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों को दैनिक वाद तालिका (Daily Cause List) में प्रदर्शित ही नहीं किया जाता, जिसके कारण वे लम्बे समय तक अनिस्तारित रह जाते हैं और उनकी समीक्षा भी नहीं हो पाती है तथा वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक एवं चिन्ताजनक है।

उल्लेखनीय है कि परिषदादेश संख्या 3525 / 13–न्याय दिनांक 08 नवम्बर, 2017 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि वाद पत्रावली में बारकोडयुक्त वाद–पत्रक (Order sheet) जिसमें वाद का पूर्ण विवरण भी अंकित हो, पर ही आदेश टंकित अथवा हस्तलिखित रूप से अंकित किये जाएं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) द्वारा राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली (RCCMS) में अब पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों को भी पृथक से वाद संख्या दिये जाने का प्राविधान कर दिया गया है जोकि वाद–पत्रक (Order sheet) में **RST/वाद संख्या** के रूप में प्रदर्शित होंगे।

अतः सभी राजस्व पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों (Restoration applications) को अनिवार्य रूप से दैनिक वाद तालिका (Daily cause list) में प्रदर्शित किया जाय, ताकि इस प्रकार के लम्बित प्रार्थना पत्रों पर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जा सके तथा उच्चधिाकारियों द्वारा व राजस्व परिषद स्तर पर लम्बित पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्रों की समीक्षा भी की जा सके। इस प्रकार के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के समय परिषद के आदेश संख्या 3204/13(न्याय) दिनांक 06 अक्टूबर 2017. में दिये गये निर्देशों व उल्लिखित विधिक व्यवस्थाओं का भी विशेष रूप से संज्ञान लिया जाय।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों एवं राजस्व न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों को अवगत कराना व कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(लीना जौहरी)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2– निजी सचिव, समस्त मा0 सदस्यगण (प्रशासनिक एवं न्यायिक), राजस्व परिषद, उ0प्र0।
3– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4– तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5– गार्ड फाईल।

भवदीय,

14/12/2017

(भीष्म लाल वर्मा)
उप भूमि व्यवस्था आयुक्त।